

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा में प्रसारीत

सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार, 27 दिसंबर-2021 वर्ष-4, अंक-334 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रुपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

स्नैक्स फैक्ट्री दुर्घटना-मृतकों की संख्या 11 हुई^{सीएम नीतीश ने मुआवजे का ऐलान किया}

क्रांति समय, सुरत

मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर के बेला में रविवार की सुबह एक स्नैक्स फैक्ट्री में हुई बड़ी दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने मृतक के आश्रितों के लिए चार-चार लाख स्पैसुअवजे की घोषणा की है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-टू स्प्रिंग एक स्नैक्स फैक्ट्री में रविवार की सुबह करीब आठ बजे बायलर फट गया। इससे जान-माल की काफी क्षति हुई है। अभी तक 08 मजदूरों के क्षति-विक्षत शब्द निकाले जा चुके हैं, जबकि आधा दर्जन घायलों को श्री कृष्ण मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहाँ पहुंचने के बाद 03 घायल ने दम तोड़ दिया। राहत एवं बचाव का कार्य जारी है।

डीएम, एसएसपी समेत तमाम




कितने लोग काम कर रहे थे, इसकी जानकारी भी अभी तक नहीं मिल सकी है। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पहुंच गई है। राहत व बचाव का काम तेज़ कर दिया गया है। इस बीच ट्रैक्टरों से फैक्ट्री के गेट को बंद कर दिया है। आसपास के लोगों ने बताया कि पहले बॉयलर फटने की जोरदार आवाज हुई। चार किमी तक घर की खिड़की व दरवाजे तक हिल गए। पुलिस की टीम पहुंची है। उसके अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोगों की जान गई है। जिसके स्वेच्छा इस जगह पर काम कर रहे हैं। वे यहाँ पहुंच गए हैं।

सभी अपने की खोज कर रहे हैं। जिसकी वजह से फैक्ट्री के आसपास अफरातफरी की हालत है। प्रशासन के इस घटना में कई लोगों के अधिकारी लोगों को अंदर जाने से रोक रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मेयर और विधायक भी मौके पर पहुंच गए हैं।

हथौड़ा, गैस कटर, वेलिंग मशीन की मदद से खोजी जा रही इत्र कारोबारी की काली कमाई, 36 घंटे से सर्च जारी

क्रांति समय, सुरत

कन्नौज, खुशबू के कारोबार से होने वाली काली कमाई बरामद करने के लिए विजिलेंस की टीमें कानपुर से लेकर कन्नौज तक सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। कानपुर में दो दिनों की पड़ताल में करेंडा की रकम बरामद हुई है। कन्नौज में भी इसी तरह का खजाना होने की संभावना में पिछले 36 घंटे से तलाशी अभियान जारी है। खजाना हासिल करने के लिए विजिलेंस की टीम को ताला तोड़ने के कारीगर, हथौड़ा, गैस कटर और वेलिंग मशीन



को मदद लेनी पड़ी है।

गुप्त खजाने में कितनी रकम

इत्र कारोबारी पीयूष जैन के

का भंडार है, इसे पता करने

के लिए अहमदाबाद से आई

जीएसटी की विजिलेंस टीम

से जुटे हैं। कन्नौज स्थित

पैतृक आवास पर पिछले 36 घंटे से तलाश जारी है।

शुक्रवार की शाम चार बजे

से शुरू हुई जांच-पड़ताल

शुक्रवार की रात के बाद

शनिवार पूरे दिन और पूरी रात

तक चलती रही। जांच को

लेकर अफसर कितने संजीदा

हैं, इसका अंदाजा इसी से

लगाया जा सकता है कि न

सिर्फ कागजी गढ़ तलाशे जा

रहे हैं, बल्कि मकान के अंदर

की अलमारियां, लॉकर, बक्से

भी तलाशे जा रहे हैं। इनका

ताला आसानी से खुलता है

तो ठीक, नहीं तो दूसरी तरीका

आजमाने में कोताही नहीं की

जा रही है।

टीम के सदस्य ताला तोड़ने के

लिए अलग-अलग समय में

कई कारीगर डेढ़ दर्जन लॉकर

की तलाशी ली गई है।

उनमें से जिनका ताला आसानी से

नहीं खुल सका उनपर हथौड़े

चलने और गैस कटर के

इस्तेमाल से परहेज नहीं किया

गया।

विजिलेंस टीम को पीयूष जैन

के मकान के अंदर

कई दोनों मशीनों के चलने की

तेज आवाज बाहर तक आती

रही है। शनिवार सुबह गैस

कटर और वेलिंग मशीन भी

मंगावई गई। घर के अंदर से

इन दोनों मशीनों के चलने की

तेज आवाज बाहर तक आती

रही है। शुक्रवार को कई बार इन

मशीनों का इस्तेमाल किया

गया।

हालांकि विजिलेंस टीम की

ताला आसानी से खुलता है

तो ठीक, नहीं तो दूसरी तरीका

आजमाने में कोताही नहीं की

जा रही है।

टीम के सदस्य ताला तोड़ने के

बाहर आई खबर के मुताबिक

तोड़ा जा रहा है।

कार्यालय ऑफिस

समस्या आपकी हमें भेजे

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com

**अपने क्षेत्र में समस्याएं हमें लिखे या बताएं
और समस्याएं का हल संबंधित विभाग से मिलेगा
मोबाइल:-987914180
या फोटो, वीडियो हमें भेजे**

क्रांति समय दैनिक समाचार
भारत के अन्य राज्यों में जिला ब्लूरों और अन्य शहर, ग्राम में पत्रकारों की नियुक्त के लिए आवेदन कर सकते हैं
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com

यह विडंबना ही है कि संसद के मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र भी समय से पहले खत्म हो गया। सत्र शुरू होते ही मानसून सत्र में हंगामे के लिये राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के बारह सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने के बाद जो टकराव उत्पन्न हुआ, वह आखिर तक चलता रहा। सत्र के आखिरी दिनों में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक औ ब्रायन के निलंबन के बाद विवाद ज्यादा ही तूल पकड़ गया। लखीमपुर खीरीकांड में गृह राज्यमंत्री को हटाये जाने के मुद्दे पर विपक्ष खासा आक्रामक रहा। अंततः इस विवाद के बीच सत्र समय से पहले ही समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। इस हंगामेदार सत्र में लोकसभा के लिये निर्धारित समय में से 24 दिनों में 18 बैठकों के माध्यम से 83 घंटे और 12 मिनट का काम हुआ, जबकि 18 घंटे व 48 मिनट का नुकसान हुआ। वहीं राज्यसभा के लिये निर्धारित 95 घंटे और छह मिनट की निर्धारित बैठक के समय में सदन में केवल 45 घंटे और 34 मिनट में कार्य निर्वहन किया गया। जहां यह सत्र तुफानी और असामान्य रूप से टकराव वाला था, वहीं सरकार ने इसे अपनी सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने व्यवधान डालकर बिना बहस के कृषि कानूनों को निरस्त तथा विधेयकों को पारित करने का अलोकतात्रिक काम किया। पहले ही दिन बारह सांसदों के निलंबन को वे सरकार की रणनीति का हिस्सा बताते रहे। यह विडंबना ही है कि विश्वास बहाली व टकराव टालने की गंभीर कोशिश होती नजर नहीं आई। वहीं विपक्ष को सदन के बहिष्कार के बजाय तीखे प्रश्नों व आपत्तियों के जरिये गंभीर विमर्श में भाग लेना चाहिए। देश के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर विपक्षी नेताओं को भी गंभीर तैयारी करके सदन में आना चाहिए ताकि विधेयकों के गुण-दोषों पर गहन मंथन हो सके। वहीं संसद में सांसदों की उपस्थिति को लेकर सवाल उठाये जाते रहे हैं। बहरहाल, चुनाव सुधार विधेयक के जल्दबाजी में पारित होने से इस महत्वपूर्ण विधेयक से जुड़े कई सवाल अभी बरकरार हैं। नागरिकों की निजता व डेटा सुरक्षा से जुड़े कई सवालों पर विमर्श की मांग विपक्ष लगातार करता रहा। वहीं युवतियों की शादी की उम्र बढ़ाने के विधेयक पर कई सवाल विभिन्न राजनीतिक दलों व वर्गों द्वारा उठाये जा रहे थे। संसद की स्थायी समिति को सौंपने के चलते अभी इस विधेयक पर विमर्श की गुंजाइश बची है। वहीं लखीमपुर खीरीकांड में गिरफ्तार आशीष मिश्रा के खिलाफ लगी धाराओं को एसआईटी की रिपोर्ट के बाद गंभीर धाराओं में बदलने के बाद विपक्ष लगातार गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा को हटाये जाने की मांग करता रहा।

लेकिन सत्तापक्ष ने मुद्दे को अनसुना कर दिया। बहरहाल, संसद के विभिन्न सत्रों में हंगामे, निलंबन, सत्र बहिकार के चलते कामाकाज टप्प होने के भारतीय लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। देश के करदाताओं की महनत के पैरे का सत्र के विधिवत न चलने से व्यर्थ जाना निस्संदेह चिंता का विषय है। यह भी विडंबना है कि शीतकालीन व मानसून सत्र के दौरान उठे विवाद को खत्म करने की गंभीर पहल होती नजर नहीं आई। पीठासीन अधिकारियों की व्यवस्था बनाये रखने की अपील को विपक्षी नेताओं ने अनसुना किया। बार-बार के हंगामे व व्यवधान के चलते राज्यसभा में सिर्फ 48 फीसदी काम होना हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। बेहतर होता कि इस सत्र के दौरान पारित 11 विधेयकों पर गंभीर विर्झ होता ताकि वे देशहित के व्यापक लक्ष्यों को पूरा कर पाते। लेकिन विडंबना है कि धीर-गंभीर पहल के बिना शीतकालीन सत्र समय से पहले समाप्त हो गया। बहरहाल, विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए कि रूलबुक फेंकना, मेजें पर चढ़ना, कागज फाड़कर फेंकना व सुरक्षाकर्मियों से धक्का-मुक्की क्या संसदीय परंपरा का हिस्सा है?



४८

श्रीराम शर्मा आचार्य/ संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ताओ, कन्यूशूयिस, जैन, बौद्ध, यहूदी आदि विभिन्न नामों से प्रचलित धर्म- सम्प्रदायों पर दृष्टिपक्ष करने से यही पता चलता है कि उनके बाह्यस्वरूप एवं क्रिया-कृत्यों में जमीन-आसमान जितना अंतर है। यह अंतर होना उचित भी है, क्योंकि जिस वातावरण, जिन परिस्थितियों में वे पनपे और फैले हैं, उनकी छाप उन पर पड़ना स्वाभाविक है। मनीषी, अवतारी, महामानवों ने देश काल, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठता- संवर्धन एवं निकृष्टा-निवारण के लिए जो सिद्धान्त एवं आचार शास्त्र विनिर्मित किए, कालान्तर में वे ही धर्म-सम्प्रदायों के नाम से पुकारे जाने लगे। इस कारण उनके बाह्य कलेवर में विविधता होना स्वाभाविक है। फिर भी, जहां तक मौलिक सिद्धान्तों की बात है, वह सभी तथाकथित धर्मों में एक ही है। सभी ने एक सार्वभौम सत्ता के साथ तादात्य स्थापित करना, मानव का अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया है। सभी प्रचलित धर्मों में ‘प्रार्थना’ को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया एवं अपने दैनिक क्रिया-कृत्यों में सम्मिलित किया गया है। अमेरिका के विख्यात साइक्रियेटर्स्ट डॉ. बिल के अनुसार- ‘कोई भी व्यक्ति, जो वास्तव में धार्मिक है, मनोरोगों का शिकार नहीं हो सकता।’ मन-विकित्सकों एवं मनोविश्लेषकों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि धार्मिक कर्मकाण्डों में जो प्रार्थना की जाती है। प्रसिद्ध विचारक डेल कारनेगी ने लिखा है- ‘जीवन की जटिलताओं और विषमताओं से संघर्ष करके सफलता पाने में कोई भी व्यक्ति अकेले समर्थ नहीं है, आस्था और विश्वास के साथ इस संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाए।’ मौलाना रुम ने कहा है- ‘रुह की दोस्ती इन्हम और ईमान से है, उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि में कोई फर्क नहीं है।’ प्रसिद्ध ईसाई धर्मपदेशक जस्टिन ने कहा है- ‘जितनी भी श्रेष्ठ विचारणाएं हैं, वे चाहे किसी भी देश या धर्म की हों, सब मनुष्यों के लिए ईश्वरीय निर्देश की तरह हैं।’ शिव महिमा में उल्लेख है- जिस प्रकार बहुत सी निदियां भिन्न-भिन्न प्रकार से धूमकर ॲंट-त-समुद्र में ही जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अलग-अलग धर्म, पंथों से चलकर उसी एक ईश्वर तक पहुंचते हैं। इंजील ने लिखा है- ‘मनुष्य के नथुनों में जितने साते हैं, उतने ही ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं।’

संपादकीय

क्रांति समय

मासिक वेतन पूरनमासी का छाँद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। - प्रेमघंट

काली कमाई के ठिकानों पर कसे शिकंजा

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में संसद में बताया गया है कि पनामा तथा पैराडाइज़ ऐपर लीक मामले में भारत से संबद्ध 930 इकाइयों के संबंध में 20,353 करोड़ रुपये की राशि के कुल अधोखित जमा का पता चला है। बच्चन परिवार से जुड़ी कथित अनियमितताओं के कई मामले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं। 'इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स स' (आईसीआईजे) द्वारा खुलासा किए गए मामलों में की गई निरंतर जांच से अब तक अधोखित विदेशी खातों में 11,010 करोड़ रुपये से अधिक जमा का पता चला है। बच्चन परिवार की बहु ऐश्वर्या राय से 20 दिसंबर को ईडी ने पनामा पेपर्स के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ की है। जहां पनामा पेपर्स और पैराडाइज़ पेपर्स के खुलासे होने पर केंद्र सरकार द्वारा देश की मशहूर हस्तियों की विदेश में गुप्त वित्तीय संपत्तियों की विस्तृत जानकारी हेतु बुध-एंजेसी जांच कराई जा रही है, वहीं अक्टूबर, 2021 से पैंडोरा पेपर्स के संबंध में मल्टी एजेंसी ग्रुप (एमएजी) ने अपनी बैठकें लगातार आयोजित करके जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख जेबी महापात्रा की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रिजर्व बैंक और वित्तीय इंटलीजेंस यूनिट के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में 'इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स' द्वारा अक्टूबर, 2021 की शुरुआत में प्रकाशित पैंडोरा पेपर्स रिपोर्ट लगभग 1.2 करोड़ दस्तावेजों की एक ऐसी पड़ताल है, जिसे 117 देशों के 600 खोजी पत्रकारों की मदद से तैयार किया गया है। इस पड़ताल में पाया गया है कि भारत सहित दुनियाभर के 200 से ज्यादा देशों के बड़े नेताओं, अरबपतियों और मशहूर हस्तियों ने विदेशों में धन बचाने और अपने कालेधन के गोपनीय निवेश के लिए किस तरह टैक्स पनाहगाह देशों बिटिश वर्जिन आइलैंड, सेशेल्स, हांगकांग और बेलीज आदि में छुपाकर सुरक्षित किया हुआ है। इस रिपोर्ट में 300 से अधिक भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। इनमें अनिल अंबानी, विनोद अडाणी, सविन तेंदुलकर, जैकी शाफ़, करण मजुमदार, नीरा राडिया, सतीश शर्मा आदि शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में पैराडाइज़ पेपर्स के तहत 1.34 करोड़ से अधिक

गोपनीय इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के माध्यम से 70 लाख लोन समझौते, वित्तीय विवरण, ई-मेल और ट्रस्ट डीड लीक किये थे। इनमें 714 भारतीयों के नाम उजागर हुए थे। इसके पहले वर्ष 2016 में पनामा पेपर्स के तहत 1 करोड़ 15 लाख संवेदनशील वित्तीय दस्तावेज लीक किये थे। इसमें वैश्विक कॉरपोरेटों के 'मनी लॉन्डरिंग' के रिकॉर्ड थे। 500 भारतीयों के नाम भी सामने आए थे। ये विभिन्न लीक फाइलों बताती हैं कि कैसे दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग अपनी संपत्ति छिपाने के लिए टैक्स हैवन्स देशों में स्थित शैल कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। टैक्स हैवन देश वे होते हैं, जहां नकली कंपनियां बनाना आसान होता है और बहुत कम टैक्स या शून्य टैक्स लगता है। इन देशों में ऐसे कानून होते हैं, जिससे कंपनी के मालिक की पहचान का पता लगा पाना मुश्किल हो। टैक्स हैवन देशों की शैल कंपनियों में विश्व की कई ऊंची हस्तियां अपना कालाधन जमा करती हैं। वस्तुतः कालाधन वह धन होता है, जिस पर आयकर की देनदारी होती है, लेकिन उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी जाती है। कालाधन का स्रोत कानूनी और गैर-कानूनी कोई भी हो सकता है। आपराधिक गतिविधियां जैसे अपहरण, तस्करी, निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा की गई जालसाजी इत्यादि के माध्यम से अर्जित धन भी कालाधन कहलाता है। ड्रग ट्रेड, अवैध हथियारों का व्यापार, जबरन वसूली का पैसा, फिरती और साइबर अपराध से कमाया गया पैसा भी शेल कम्पनियों में सुरक्षित कर दिया जाता है, ताकि यह कालाधन अपने देश में सफेद धन में बदल जाए। स्पष्ट है कि भ्रष्ट राजनेताओं से लेकर, नौकरशाह, व्यापारिक घराने और अपराधी तक अपने कालेधन को हवाला ट्रांसफर के जरिये टैक्स हैवन्स देशों में आराम से रख सकते हैं, इस तरह से वे बैंझीमानी से कमाया धन छिपाकर टैक्स से बच जाते हैं। दुनिया के प्रसिद्ध गैर लाभकारी संगठन ऑक्सफर्म इंडिया की नई रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरी की पनाहगाहों के इस्तेमाल से दुनियाभर में सरकारों को हर साल 427 अरब डॉलर के टैक्स का घाटा होता है। सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों पर होता है। विकासशील देशों से बैंझीमानी का पैसा बाहर जाने की रपतार तेजी से बढ़ रही है और इसका विकास पर असर हो रहा है। यह समाज के लिए हानिकारक है। विदेशों में गोपनीय रूप से धन छुपाकर रखे जाने का सीधा असर आम आदमी के कल्याण पर भी पड़ता है। निश्चित रूप से पैंडोरा, पनामा और पैराडाइज पेपर्स लीक जैसे मामलों में कई मशहूर भारतीयों के नाम उजागर होने से कालेधन को देश के बाहर भेजे जाने की कहानियां सामने आ जाती हैं। साथ ही गोपनीय रूप से धन विदेशों में भेजे जाने की रपतार बढ़ रही है। अर्थ-विशेषज्ञ आर. वैद्यनाथन ने अनुमान लगाया है कि इसकी मात्रा करीब 72.8 लाख करोड़ रु. है। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 तक स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और कंपनियों का जमा धन 20,700 करोड़ रुपए से अधिक है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च के मुताबिक साल 1980 से 2010 के बीच भारत के बाहर जमा होने वाला काला धन 384 अरब डॉलर से लेकर 490 अरब डॉलर के बीच था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि देश में भी कालेधन से निपटने के लिए अब से पहले इनकम डिकलेयरेशन स्कीम, वॉलंटर्यरी डिस्वलोजर स्कीम, टैक्स रेट को कम करना, 1991 के बाद व्यापार पर कंट्रोल हटाना, कानूनों में बदलाव जैसे कई कदम उठाए गए हैं। ऐसे विधान बनाए गए हैं जो कर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देते हैं कि करदाता कर चोरी नहीं करे। इसमें 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाइसी) की व्यवस्था जोड़ी गई, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में लेनदेन करने वालों को अपनी पूरी पहचान बतानी होती है ताकि दूसरे कार्यक्षेत्रों के साथ उस सूचना को साझा किया जा सके। लेकिन ऐसे विभिन्न प्रयासों के बावजूद कालेधन की बढ़ोत्तरी और देश से कालेधन को विदेश भेजे जाने की मात्रा में कोई प्रभावी कमी नहीं आई है। विदेशी बैंकों में जमा कालेधन के खाताधारकों की सूची मिलने की खबर मात्र को बड़ी सफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। सफलता तभी मानी जाएगी जब विदेशों में जमा अधिकांश कालाधन सरकारी खातों में वापस आ जाएगा। अब पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स और पैंडोरा पेपर्स लीक मामले में जांच का सामान्य रूटीन नहीं रहना चाहिए। चूंकि ये मामले प्रभावशाली सामाजिक व वित्तीय अभिजात्य वर्ग से संबंध रखते हैं, अतएव जांच संबंधी कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। ऐसे में अब विभिन्न देशों की सरकारों को एकीकृत रूप से मशहूर हस्तियों के द्वारा टैक्स हैवन्स देशों में निवेशित की जा रही काली संपत्तियों के वैश्विक कर चोरी के टिकानों को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ना होगा।

उपेक्षा की उस टीए ने न्यू जर्सी तक पहुंचा दिया

नन्फू वांग, चीनी फिल्म निर्माता

वह साल 1985 था। चीनी प्रांत जियांगशी के सुदूर गांव वांगमें एक युआ दंपति (किन्हुआ व जाओदी वांग) अपने घर नहेमेहमान का इंतजार कर रहा था। सामाजिक परिवेश और रुद्धियोंने उन्हें बेटे की चाहत से बांध रखा था। बेटे के रूप में उन्हें परिवार के लिए एक सहारा चाहिए था, क्योंकि उन दिनों सरकारी हुक्मनामा था कि चीनी दंपति एक से अधिक संतान पैदा न करें। बहरहाल, जब बेटी पैदा हुई, तो माता-पिता ने उसका नाम नन्फू रखा। मदारिन में 'नन' का अर्थ होता है पुरुष, और 'फू' यानी स्तंभ! स्थानीय अफसरों को जब नन्फू के पैदा होने की खबर लगी, तो वे फौरन किन्हुआ-जाओदी के घर पहुंचे और जाओदी के बंध्याकरण का हुक्म सुना दिया। लेकिन नन्फू के दादा को खानदान का नाम आगे ले जाने के लिए पोता चाहिए था। उन्होंने अधिकारियों से काफी मित्रतें कीं। दूसरे बच्चे की अनुमति तो मिल गई, मगर इसके लिए किन्हुआ और जाओदी को पांच साल के इंतजार के साथ-साथ भारी जुर्माना भरना पड़ा। उम्र के हर बीतरे पड़ाव के साथ नन्फू पर एक शर्मिंदगी तारी होती गई कि उनके परिवार ने कुछ गलत किया है, क्योंकि आसपास हरेक दंपति को एक ही संतान थी। हालांकि, उन्हें नहीं मालूम हो रहा था कि उनके अंदर यह शर्म या अपराध-बोध कहां से आया! जाहिर है, वह कच्ची उम्र थी, इस बोध को समझने के लिए। नन्फू के परिवार की अर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता बचपन से ही दिल के मरीज थे, इसलिए उच्च शिक्षा से वर्चित कर दिए गए थे, क्योंकि चीन में सतर के दशक में यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को शारीरिक फिटनेस की परीक्षा भी पास करनी पड़ती थी। मां जाओदी छोटे बच्चों को मंदारिन पढ़ाती थीं, मगर इसके लिए उन्हें इतने भी पैसे नहीं मिलते कि वे एक सामान्य जिंदगी जी पाते।



शाश्वत पर वह एक फिल्म बना रही थी, हूलिगन स्प्रिरो। पर बीजिंग में बैटे अफसरों के कान खड़े हो गए। उन्होंने नन्फू को तरह-तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। पर उनका एक मित्र इस सबको गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करता गया। देखते-देखते नन्फू खुद इस फिल्म की एक किरदार बन गई। इस फिल्म को प्रतिष्ठित जॉर्ज पोल्क अवॉर्ड मिला। नन्फू चीन की 'एक बच्चे की नीति' के स्थापना को अवगत करना चाहती थीं, इसके लिए उन्होंने बन चाइल्ड नेशन डॉक्यूमेंटरी बनाई। इस फिल्म के सिलसिले में उन्होंने एक 84 वर्षीया दाई से पूछा, अपने करियर में आपने कितने बच्चे पैदा कराए होंगे? दाई को इसके आंकड़े तो याद नहीं थे, अलबाट यह जरूर बताया कि वह 60 हजार जबरिया गर्भपात या बंध्याकरण करा चुकी हैं। कई बार गर्भपात सफल नहीं होता, तो जन्म के बाद नवजात को उसे मारना पड़ता। जाहिर है, बीजिंग की निगाह में वह विलेन है, मगर इस मार्मिक डॉक्यूमेंटरी ने नन्फू को कई इनाम दिलाए। अब वह न्यू जर्सी में रहती है। बीबीसी ने उन्हें इस वर्ष दुनिया की 100 प्रेरक महिलाओं में शामिल किया है।

यान प्रस्तुत - चद्रकात स

સ્નો-ડોક્યુ નવતાળ - 2001

	3	1		5		2	6	7
	5		6					
		7		1	8	3		
3				4	2	9	7	
		5		7		6		
	2	8	3	9				5
		2	1	8		4		
					5		9	
6	9	4		2		5	8	

सु-दोकू -2000 का हल

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो द्वाका तिषेष ध्यान रखें।

1	2	6	5	3	8	9	4	7
8	9	3	4	2	7	5	1	6
5	7	4	1	6	9	3	8	2
3	5	9	6	1	2	8	7	4
2	6	8	9	7	4	1	3	5
7	4	1	3	8	5	2	6	9
4	3	2	8	5	6	7	9	1
9	8	7	2	4	1	6	5	3
6	1	5	7	9	8	4	2	0

बायें से दायें:

1. ऋषि कपूर, डिपल कपाड़िया की 'झुट बोले कोआ काटे' गीत वाली फिल्म-2	19. 'हम तो तंबू में बंबू' गीत वाली फिल्म-2
3. 'तुम रुठ के मत जाना' गीत वाली भारत धूपण, मधुबाला अभिनीत फिल्म-3	20. 'समय तू जल्दी जल्दी चल' गीत वाली राजेश खना, शबाना, विद्या सिन्हा की फिल्म-2
6. अनिल, मायुर की 'कह दो कि तुम' गीत वाली फिल्म-3	21. 'बाबुल का ये घर बहना' गीत वाली फिल्म-2
8. 'कहाँ गए ममता भरे दिन' गीत वाली सुनील शेट्टी, रंभा की फिल्म-2	23. फिल्म 'शत्रु' में धर्मेन्द्र के किरदार का क्या नाम था ?-2
9. बी.आर. चोपड़ा की बहु सितारा फिल्म 'वक्त' के संगीत निर्देशक कौन थे-2	24. विकास भल्ला, सुमित सहगल, नीलम की फिल्म-2
11. नायक अनिलकपूर की पहली फिल्म-3	26. 'बाबूजी धोरे चलना' गीत वाली गुरु दत्त, शकीला, श्यामा की फिल्म-2,2
13. राजेश खना, राखी, शर्मिला की 'मेरे दिल में आज क्या है' गीत वाली फिल्म-2	28. आफताब, उमिता की 'रुकी- रुकी सी जिंदगी' गीत वाली फिल्म-2
14. 'दिल क्वां धड़कता है' गीत वाली फिल्म-3	29. सुनील दत्त, आशापरेख की फिल्म-3
16. सुनील शेट्टी, पूजा बत्रा की फिल्म-2	30. 'चोरी चोरी ओ गोरी' गीत वाली फिल्म-4
17. 'नाजुक सो कली थी' गीत वाली अजय देवगन, मनीषा अविनाश वधावन, करिश्मा की फिल्म-4	31. फिल्म 'डोली सजा के रखना' के संगीत निर्देशक कौन हैं ?-4
उपर से नीचे:-	

ਅਪਰ ਸ ਨਾਵ

ता का 'ए जात है लहर' गीत क मल्टी स्टार फिल्म-3 ख, नसीदुद्दीन, सितार की फिल्म-

किंहमें देना दाता' गीत वाली जया की पहली फिल्म-2 त, वैजयंती माला की 'औरत ने दिया मर्दों की' गीत वाली फिल्म-3 ती वाली की 'आया रे खिलौने गीत वाली फिल्म-4 बोले ता जिसी का ताला' गीत तीतेंद्र, लीना चंद्रावरकर की फिल्म-3 ल वर्षा की मरोन वाजेयी, उर्मिला वी वाली एक सर्सेस फिल्म-2 अगर तीव्र, तीव्रिकल खड़ा की 'भू सीने दल धड़क' गीतवाली फिल्म-2 सुचिता सेन अभिनीत फिल्म-3

लगा का बन गए जनाब हारा हारा' गातवाला फिल्म-2

17. धर्मेन्द्र, जीतेंद्र, हेमा, जीनत की फिल्म-4

18. फिल्म 'एक दूजे के लिये' में कमल हासन के किरदार का नाम क्या था ? -2

21. अमरदत खान, विनाद मेहरा, विद्या गोस्वामी की 'पर्वें मैं कई बैता है' गीत वाली फिल्म-2

22. 'मैं नये जाने की लैला' गीत वाली अजय देवगढ़ी नाठंद की फिल्म-2

24. अमितभ बच्चन, नूरा, पद्मा खन्ना की 'तेरा मेरा साथ रहे' गीत वाली फिल्म-4

25. 'दुनिया जब जलती है' गीत वाली धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी की फिल्म-2

26. राज कपूर, नरिस की 'आ जाओ तड़पते हैं अरम' गीत वाली फिल्म-3

27. 'चलो दिलदार चलो' गीत वाली फिल्म-3

28. फिल्म 'ये तेरा घर ये मारा घर' में सुनील शेषी की

पूजा पाठ करने वालों को
‘आध्यात्मिक’ कह दिया जाता है,
लेकिन अध्यात्म का मूल अर्थ
ईश्वरीय चर्चा या ईश्वर ज्ञान
कर्तव्य नहीं है।



क्या है अध्यात्म

गीता के अध्याय 8 की शुरुआत अर्जुन के प्रश्नों से होती है, पूछते हैं ‘हे पुरुषोत्तम! वह ब्रह्म वया है? अध्यात्म वया है? और कर्म के माने वया है?’

(अध्याय 8 श्लोक 1, लोकान्य तिलक का अनुवाद, गीता रहस्य पृष्ठ 489)

मूल श्लोक है ‘कि तद ब्रह्म किम् अध्यात्म कि कर्म पुरुषोत्तमः।’

प्रश्न सतीशा है। यहाँ ब्रह्म की जिज्ञासा है, ब्रह्म ईश्वरीय जिज्ञासा है।

अध्यात्म ईश्वर या ब्रह्म चर्चा से अलग है। इसीलिए अध्यात्मक का प्रश्न भी अलग है।

कर्म भी ईश्वरीय ज्ञान से अलग एक विषय है। इसलिए कर्म विषयक प्रश्न भी अलग से पूछा गया है। श्रीकृष्ण कहते हैं

‘अक्षरं ब्रह्म रप्तम्, स्वभावं अध्यात्म उच्यते’।

परम अक्षर अथर्व तर्की भी नष्ट होने वाला तत्त्व ब्रह्म है और प्रत्येक वस्तु का अपना मूलभाव (स्वभाव) अध्यात्म है।

‘परम अक्षर (अविनाशी) तत्त्व ही ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है।’ (गीता नवनीत, पृष्ठ 175)

पारलौकिक विश्लेषण या दर्शन नहीं

अध्यात्म का शादिक अर्थ है ‘स्वयं का अध्यात्म-अध्यात्म-आत्म।’

विद्वत्जनों ने अध्यात्म की सुसंगत व्याख्या की है, ‘इसका तात्पर्य यह है कि जो अपना भाव अर्थात् प्रायेक जीव की एक-एक शरीर में पृथक् पृथक् सत्ता है, वही अध्यात्म है।

समर्पण सुषिगत भावों की व्याख्या जब मनुष्य शरीर के द्वारा (शारीरिक संदर्भ लेकर) की जाती है तो उसे ही अध्यात्म व्याख्या कहते हैं।

गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं

‘स्वभावो अध्यात्म उत्त्यते’

स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है।

बड़ा प्यारा है ‘स्व’

स्व शब्द से कई शब्द बनते हैं। ‘स्वयं’ शब्द इसी का विस्तार है। रसार्थ भी इसी का होती है। रसान्भूति अनुभव विषयक ‘स्व’ है। सभी प्राणी मरणशील हैं, जब तक जीवित हैं, तब तक स्व हैं, समार है, जिज्ञासाएँ हैं, प्रश्न हैं। विज्ञान और दर्शन के अध्ययन हैं। प्राचेरक ‘स्व’ एक अलग इकाई है।

स्व की अपनी काया देह है, अपना मन है, बुद्धि है, विवेक है, दृष्टि है विवाह है। इन सबसे मिलकर भीतर एक नया जगत् बनता है। इस भीतरी जगत् की अपनी निजी अनुभूति है, प्रति और रीति भी है।

अपने प्रियजन है, अपने इकट्ठे हैं। इन सबसे मिलकर बनता है।

‘एक भाव’ इसे ‘स्वभाव’ कहते हैं।

स्वभाव नितांत निजी वैयक्तिक अनुभूति होता है लेकिन स्वभाव की निर्मिति में मा, पिता, मित्र परिजन और सम्पूर्ण समाज का प्रभाव डालता है। स्वभाव निजी सत्ता और प्रभाव वाही है। जब स्वभाव प्रभाव को रखीकर करता है, प्रभाव घुस जाता है, स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। इसका उल्टा भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है।

निजता को बचाने की इच्छा

होती है स्वभाव में

निजता की रक्षा के प्रति अतिरिक्त सुरक्षा भाव भी होता है। निजता की रक्षा, निजता के प्रति विशेष संरक्षण संकर भाव ही ‘स्वाभिमान’ कहलाता है।

स्वाभिमान, स्वभाव, स्वार्थ और स्वयं की विशिष्टता के कारण ही स्वभाव पर प्रभाव की जीत नहीं होती। बेशक स्वभाव पर दबाव के कारण प्रभाव पड़ते हैं, स्वभाव तो भी बना रहता है।

‘स्वभाव’ अजर और अमर नहीं

स्वभाव हव एक इकाई है, एक दृष्टिकोण (शरीर) है।

विकास के क्रम में स्वभाव, स्वार्थ और स्वाभिमान का भी विकास होता है। कोरे निजी हित के स्वभाव वाले

‘स्वार्थी’ भी परिवार हित में निज स्वार्थ छोड़ते हैं।

‘स्व’ का भौगोलिक क्षेत्र

पहली परिधि और सीमा यह शरीर है। इसका स्वभाव, स्वार्थ और स्वाभिमान होता है। इसी का विस्तार ग्राम, राष्ट्र, विश्व के मनुष्य है। फिर सभी कोटि पतंगों और वनस्पतियों को भी शामिल किया जा सकता है।

यहाँ स्व का भौगोलिक क्षेत्र बढ़ता है। फिर सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश सहित समूचे ब्रह्माण्ड के विस्तार होता है।

तुलसीदास ने ‘परहित’ को धर्म कहा- परहित सरिसु धर्म नहीं।

यहाँ परहित स्वहित से बड़ा है। इसी तरह परहित से राष्ट्रहित, राष्ट्र हित से विश्वहित बड़ा है। लेकिन स्वार्थ तो भी है। स्व की सीमाएँ विश्व का व्याप हो गई हैं, लेकिन अतिम समूची मजिल में ब्रह्माण्ड भी शामिल होता है। यहाँ स्व की सीमाएँ टूट जाती हैं।

यही स्व चरम पर पहुंचा और परम हो गया। इसी स्वार्थ का नाम अब परमार्थ होगा। स्वभाव भी अब परमभाव कहलाएगा।

कोरी ईश्वरीय वर्चा नहीं है अध्यात्म

अध्यात्म ‘स्वभाव’ को जानने की कैपिट्री है। यह मनव मन की परतों का अजब गजब रासायनिक विश्लेषण है।

बुद्धारण्यक उपनिषद् (2.3.4) में कहते हैं ‘अध्यात्म का वर्णन किया जाता है’ ‘अथ अध्यात्म मिद्मेव’।

अर्थात् जो प्राण से और शरीर के भीतर आकाश से भिन्न है, यह मूर्ति के, मर्त्य के इस सत के सार है।

यहाँ अध्यात्म का विषय प्राण और आकाश को छोड़कर बाकी देह है।

शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार ‘आध्यात्मिक शरीराभ्यक्त्य कार्यरूप रसः सारः।’

शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार ‘आध्यात्मिक शरीराभ्यक्त्य कार्यरूप रसः सारः।’

‘अर्थात् आध्यात्मिक।’

कही आपका पैसा न बहा ले जाए घर के नल का टपकता पानी

इस युग में जहां हर कोई अपने घर का निर्माण और साज- सज्जा आधुनिक तौर पर करता है, वहीं इस बात का भी ध्यान रखता है कि किस चीज़ को कहाँ व्यवस्थित करनी है और किस वस्तु को कैसे उपयोग करना है। आइए जानते हैं कि किन- किन वस्तुओं को कैसे रखना है-

टपकते नल को ठीक कराएं- फैंगशुर्ड में जल को संपत्ति माना गया है। यदि आपके घर का कोई भी नल लगातार टपक रहा हो तो उसकी तुरंत मरम्मत कराएं, क्योंकि ऐसा लगातार होना आपको आर्थिक क्षति पहुंचा सकता है।

घर में उत्तर दिशा को फूलों से सजाएं - आपके घर में उत्तर दिशा का क्षेत्र आपके जीवन की प्रगति और सुअवसरों से संबंधित है। इस क्षेत्र में सफेद रंग के कृत्रिम फूलों से भरा हुआ तोहे अथवा स्टील का फूलदान रखिए। इससे यह क्षेत्र समृद्ध होगा।

लाल रंग के बॉर्डर में फोटो मढ़वाएं- दक्षिण दिशा का तत्त्व अर्थित है और उससे जुड़ी है प्रसिद्धि। लाल रंग अर्थित का प्रतीक है। आप लाल रंग के बॉर्डर में अपना कोई अच्छा सा फोटो मढ़वाएं और दक्षिण क्षेत्र में लगाएं। आपकी प्रतीक और साथ बढ़ाने का यह अच्छा उपाय है।

उत्तर-पूर्व दिशा में ग्लोब रखें- अपने घर की उत्तर-पूर्व दिशा में समूची पृथ्वी के प्रतीकरण ग्लोब रखें। इससे शिक्षा व ज्ञान में बृद्धि होती है। इस क्षेत्र का तत्त्व पूर्वी है।

चीनी सिक्कों का करें उपयोग- धन संबंधी भाग्य को सक्रिय करने के लिए चीनी सिक्कों का उपयोग बहुत प्रभावशाली है। तीन सिक्कों को लाल रिबन में या लाल धागे में बांधकर अपने पर्स में रख सकते हैं। यह आपकी होने वाली आय का प्रतीक है। इन सिक्कों को उपहार में देना बहुत अच्छा माना जाता है। लाल धागा इन सिक्कों को सक्रिय करता है और उसमें से यांग कर्जा उत्पन्न होती है।

जीवन-कर्जा का मूल तत्त्व है और इसी से जीवन द्वारा ज्ञान और प्रेम की सर्वोच्चता स्वीकार नहीं करने का औन्नित्य व्यक्त होता है। प्रेम की अनुभूति कोई ही नहीं, उसी प्रकार जीवन द्वारा जीवन-कर्जा भी नहीं, बल्कि शक्ति भी उसका एक आयाम है। जिस तरह से एकमात्र आयाम नहीं करता है। जीवन के प्रति जीवन की कैपिट्री है। जीवन के अनुभूति को

नई दिल्ली। देश के सभी विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को पीएचडी छात्रों का बैरा और उच्च थीसिस शोधगंगा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसके लिए गारंटी दी है कि क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग एक्सीट (एनआईआरएफ) से बाहर किया जाएगा। दरअसल एनआईआरएफ ईंकिंग 2023 के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 में स्नातक करके पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या काढ़ा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ईंकिंग के अवकंठ में करारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रभारी रजनेश जैन की ओर से सभी कृतिपत्रों को पत्र लिखा गया है। आयोग सचिव प्रभारी जैन ने लिखा है कि शोधगंगा पोर्टल पर एपीक्सिल और पीएचडी थीसिस करना अनिवार्य है। हालांकि आयोग के बार-बार दिशा-निर्देशों के बाद भी कई उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपनी तरफ पीएचडी थीसिस अपने तक अपलोड नहीं की है। विश्वविद्यालयों को बताया जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग 2023 में पीएचडी डेंड्रो यही से लिया जाना है। यदि कोई स्नातक इसने के बाद भी नियम का उल्लंघन करता है तो उनका नाम नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग 2023 से बाहर हो जाएगा। क्योंकि ईंकिंग के मानकों में परवने के लिए पीएचडी छात्रों का ब्याधा और थीसिस अपलोड नहीं किए हैं।

मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा

कुरकुरे-नूडल्स फैक्ट्री में बायलर फटने से 10 की मौत, कई घायल

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां बेटों औद्योगिक क्षेत्र में गविरार को मोटोर कुरकुरे और नूडल्स फैक्ट्री में बायलर फट गया। इससे 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हों। असापास की फैक्ट्रीयों के लोगों के के भी घायल होने की सूचा है। पीके पर एसपी-डीएम सहित कई आला अधिकारी मौजूद हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि बायलर फटने का धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई। धमाके के कारण बगल की चुड़ा और आटा फैक्ट्री भी शक्तिशाली हो गई। मोके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची हैं। फिलहाल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की शिकायत नहीं हो पाए हैं। हादसे के समय फैक्ट्री के अंदर किन्तु लोग काम रहे थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। रहत और बचाव का काम जारी है। इसी बीच ट्रेटरों से जाने से रोक रहे हैं।

युवा होने पर शादी के लिए आजाद है मुस्लिम लड़की, हिंदू से शादी पर एचसी की टिप्पणी

चंदीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़की की याचिका स्वीकार करते हुए यह कहा कि युवा होने पर उसे अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। लड़की ने अपने परिवार के बिलाकार कर दिया और शुक्र के बाद भी नहीं कर सकती है कि याचिकार्कानों की आशंकाओं को दूर करने की ज़रूरत है। केवल इसलिए कि यह अपनी कोर्ट से सुरक्षा देने को गुहार लगाता है। कोर्ट ने यह अपनी कोर्ट से सुरक्षा को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। खबर के मुताबिक, जिस्टर रहरेश सिंह ने कहा कि कानून में स्पष्ट है कि मुस्लिम लड़की की शादी मुस्लिम कानूनों की उपर्युक्त विवाहित लड़कों के बाद भी नहीं कर सकती है। सर दिनांक फरदुजी मुस्लिम की पुस्तक 'प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ' के अनुच्छेद 195 के मुताबिक, याचिकार्कान संख्या 1 (लड़की) 17 वर्ष की होने के कारण, अपनी प्रदेश के व्याक के साथ शादी करने के लिए सक्षम है। याचिकार्कान नंबर 2 (लड़की का साथी) की उपर्युक्त विवाहित लड़कों में से 15 वर्ष की उपर्युक्त विवाहित लड़कों के बाद भी नहीं कर सकती है। याचिकार्कान नंबर 3 (लड़की का साथी) की उपर्युक्त विवाहित लड़कों के बाद भी नहीं कर सकती है।

नई दिल्ली। तीन कृषि कानूनों पर अपने बान्धन बनाया था। हमने कुछ बजहों से इस कानून को बापस ले लिया। नंदें तोमर ने कहा कि कृषि मैंने कहा था कि सरकार अपने किसानों की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। उत्तर निकाला गया। गौरतलब के बाद सियायी हल्कों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने तो इसे सजिश तक करार दे दिया था। गौरतलब है कि 19 नंबर को प्रधानमंत्री नंदें मोदी ने बीते कोर्स कानूनों के बापस लिए जाने की बात कहते हुए किसानों से प्रसाद के बापस लिए जाने की बात पर अड़े हैं और तीनों कृषि कानूनों को बापस ले लिया गया था।

तोमर ने दिया स्थैतिक प्रतिक्रिया

अपने ताजा बयान में कृषि मंत्री ने कहा कि मैंने यह कहा था कि सरकार ने एक बंदिया

बिना वक्त गंवाएं हमें आज से ही देश के विकास में अपना योगदान देना होगा-पीएम मोदी

नई दिल्ली। देश के सभी विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को पीएचडी छात्रों का बैरा और उच्च थीसिस शोधगंगा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसके लिए गारंटी की आदेश लिखा है कि क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग एक्सीट (एनआईआरएफ) से बाहर किया जाएगा। दरअसल एनआईआरएफ ईंकिंग 2023 के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 में स्नातक करके पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या काढ़ा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ईंकिंग के अवकंठ में करारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रभारी रजनेश जैन ने लिखा है कि क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग एक्सीट (एनआईआरएफ) से बाहर किया जाएगा। दरअसल एनआईआरएफ ईंकिंग 2023 के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 में स्नातक करके पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या काढ़ा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ईंकिंग के अवकंठ में करारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रभारी रजनेश जैन ने लिखा है कि क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग एक्सीट (एनआईआरएफ) से बाहर किया जाएगा। दरअसल एनआईआरएफ ईंकिंग 2023 के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 में स्नातक करके पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या काढ़ा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ईंकिंग के अवकंठ में करारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रभारी रजनेश जैन ने लिखा है कि क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग एक्सीट (एनआईआरएफ) से बाहर किया जाएगा। दरअसल एनआईआरएफ ईंकिंग 2023 के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 में स्नातक करके पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या काढ़ा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ईंकिंग के अवकंठ में करारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रभारी रजनेश जैन ने लिखा है कि क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग एक्सीट (एनआईआरएफ) से बाहर किया जाएगा। दरअसल एनआईआरएफ ईंकिंग 2023 के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 में स्नातक करके पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या काढ़ा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ईंकिंग के अवकंठ में करारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रभारी रजनेश जैन ने लिखा है कि क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग एक्सीट (एनआईआरएफ) से बाहर किया जाएगा। दरअसल एनआईआरएफ ईंकिंग 2023 के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 में स्नातक करके पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या काढ़ा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ईंकिंग के अवकंठ में करारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रभारी रजनेश जैन ने लिखा है कि क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग एक्सीट (एनआईआरएफ) से बाहर किया जाएगा। दरअसल एनआईआरएफ ईंकिंग 2023 के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 में स्नातक करके पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या काढ़ा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ईंकिंग के अवकंठ में करारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रभारी रजनेश जैन ने लिखा है कि क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग एक्सीट (एनआईआरएफ) से बाहर किया जाएगा। दरअसल एनआईआरएफ ईंकिंग 2023 के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 में स्नातक करके पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या काढ़ा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ईंकिंग के अवकंठ में करारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रभारी रजनेश जैन ने लिखा है कि क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग एक्सीट (एनआईआरएफ) से बाहर किया जाएगा। दरअसल एनआईआरएफ ईंकिंग 2023 के लिए वर्ष 2019, 2020 और 2021 में स्नातक करके पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या काढ़ा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) ईंकिंग के अवकंठ में करारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव प्रभारी रजनेश जैन ने लिखा है कि क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ईंकिंग फेमिनिंग एक्सीट (एनआईआरएफ) से बाहर किया ज